न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 55/2020

प्रार्थी

सवाराम पुत्र गलबाजी, जाति– वागरी, निवासी– टांकरिया, सिरोही, हाल– हालीवाडा, तहसील व जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत,हालीवाडा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत,हालीवाडा, तह. व जिला–सिरोही
2. सुरेशकुमार पुत्र काराजी, जाति–मेघवाल, निवासी–हालीवाडा, तह. व जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पुरी, प्रार्थी की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह देवड़ा, अप्रार्थी संख्या–2 (सुरेशकुमार) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 30 मई, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, हालीवाडा द्वारा अप्रार्थी सुरेशकुमार पुत्र काराजी, जाति–मेघवाल, निवासी– हालीवाडा, तह. व जिला– सिरोही के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 56 दिनांक 13.12.2013 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, हालीवाडा से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की गई। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 (सुरेशकुमार) की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सिंह देवड़ा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या–2 (सुरेशकुमार) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 (ग्राम पंचायत, हालीवाडा) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत, हालीवाडा की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम हालीवाडा, तहसील व जिला– सिरोही में आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 758 है। उक्त भूमि के उत्तर दिशा की ओर खसरा संख्या 722 तथा 1066 रास्ते व सड़क की भूमि आई हुई है। ग्राम पंचायत, हालीवाडा द्वारा उक्त खसरा संख्या 722 किस्म गै.मु. रास्ता भूमि का पट्टा संख्या 56 दिनांक 13.12.2013 को अप्रार्थी सुरेशकुमार के हक में जारी किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। ग्राम पंचायत, हालीवाडा द्वारा अप्रार्थी सुरेशकुमार के हक में जारी पट्टे की चतुर्दशी उत्तर में रास्ता व दरवाजा, दक्षिण दिशा में खेत, जो प्रार्थी के खातेदारी का है, पूर्व दिशा में मनजी हिराजी का भूखण्ड़ व पश्चिम दिशा में पडत भूमि अंकित की गई है व नाप उत्तर–दक्षिण 30 फीट व पूर्व–पश्चिम 45 फीट कुल 1350 वर्गफीट है। यह कि ग्राम पंचायत, हालीवाडा द्वारा अप्रार्थी सुरेशकुमार के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:14:55 IST
Reason: SelfAttested

नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया गया है, जबकि मौके पर अप्रार्थी सुरेशकुमार का कभी भी कब्जा नही रहा है एवं न ही मौके पर पुराना आवासीय मकान बना हुआ है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पुराने आवासीय गृहों के ही पट्टे जारी करने का प्रावधान है। विवादित भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ता भूमि दर्ज है एवं ग्राम पंचायत को रास्ते की भूमि का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नही है। रास्ते की भूमि ग्राम पंचायत के पास एक ट्रस्टी की हैसियत से होती है व रास्ते की भूमि का विक्रय कानूनन नही किया जा सकता है एवं न ही रास्ते की भूमि का पट्टा जारी किया जा सकता है। ग्राम पंचायत, हालीवाडा ने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर रास्ते की भूमि का अप्रार्थी सुरेशकुमार के पक्ष में पट्टा जारी किया है। मौके पर विवादित भूमि आम रास्ते के रुप में आवागमन हेतु उपयोग व उपभोग में कदीमी से आती रही है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत खाली व खुली भूमि का पट्टा जारी नही किया जा सकता है। यह कि ग्राम पंचायत, हालीवाडा द्वारा अप्रार्थी सुरेशकुमार के पक्ष में पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त विधि के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नही की गई है एवं रास्ते की भूमि का पट्टा जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, हालीवाडा द्वारा अप्रार्थी सुरेशकुमार के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत रास्ते की भूमि का जारी पट्टा संख्या 56 दिनांक 13.12.2013 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या–2 (सुरेशकुमार) के विद्वान अधिवक्ता श्री देवड़ा ने बहस के दौरान अप्रार्थी सुरेशकुमार के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि खसरा संख्या 758 व अडौस पडौस की कृषि भूमि पूर्व में अप्रार्थी संख्या 2 के पूर्वजों के खातेदारी हक की थी जो बाद में उक्त खसरा वर्णित आराजी के भाग को प्रार्थी द्वारा खरीद किया गया है। उक्त खसरा वर्णित आराजी के उत्तर में पट्टा शुदा आबादी मकान व प्लोट तथा पानी निकासी की नाली 3 फीट चौडाई की एवं उसके आगे खसरा संख्या 1066/722 सी.सी. रोड़ 30 फिट चौडाई में है तथा आबादी पुरानी है। खसरा संख्या 722 राजस्व रेकर्ड मय नक्शा में गै.मु. रास्ता त्रुटिपूर्ण दर्ज है जो भू प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा राजस्व नक्शे में गलत तरमीम की गई है। खसरा संख्या 1066 व 722 का भू भाग रास्ता समायोजन है जो मिलान क्षेत्रफल एवं खसरा संख्या 1066 के पुराने खसरा संख्या 831 मीन का नक्शे में देखने से तथा मौका स्थिति के आंकलन से स्पष्ट है। मौके पर वर्तमान में खसरा संख्या 758 के उत्तर दिशा में सरहद लगता ग्राम पंचायत की आबादी के अन्तर्गत पट्टा शुदा मकानात एवं प्लोट है उसके बाद पानी निकासी की नाली व सी.सी. रोड है जिससे ग्राम पंचायत, हालीवाड़ा द्वारा पट्टा संख्या 56 दिनांक 13.12.2013 को सही एवं विधिपूर्ण प्रक्रिया के तहत बाप दादा के हाथ के पुराना जर्जर केलुपोश मकान को पुश्तैनी हक स्वामित्व का मानते हुए अप्राथी संख्या 2 (सुरेश कुमार) के प्रार्थना पत्र दिनांक 01.10.2012 के अनुरूप पंचायत बैठक में प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 20.10.2012 पारित करके एवं निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 05.11.2012 तथा आपत्ति सूचना पत्र प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.11.2012 के अनुसरण में पत्र क्रमांक 76 दिनांक 23.11.2012 से जारी करके बाद जांच [illegible] नाप व चतुदर्शी का पट्टा

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:14:55 IST
Reason: SelfAttested

नियमानुसार शुल्क वसूल करके अप्रार्थी संख्या 2 (सुरेश कुमार) के हक में जारी किया गया है। खसरा संख्या 758 के उत्तर दिशा की सरहद लगते हुए अन्य पट्टे भी जारी किये गये है। ग्राम पंचायत, हालीवाड़ा ने पट्टा संख्या 56 पूर्णरूप से सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालना करते हुए विधिवत मिसल दायर करके मौके पर जांच कर पुश्तैनी कब्जेशुदा स्वामित्व का केलुपोश पुराना जर्जर मकान बना हुआ होने से ग्राम पंचायत हालीवाड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (सुरेश कुमार) के हक में नियम 157(1) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत उक्त पट्टा सख्या 56 दिनांक 13.12.2013 को विधि अनुरुप जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 (सुरेश कुमार) का उक्त पट्टा संख्या 56 की भूमि पर पुराना जर्जर केलुपोश मकान पुश्तैनी था जो वर्ष 2017 में अत्यधिक बारिश होने के कारण पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त होने से गिर गया था जिसको हटाकर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से टीनशेड नुमा कमरा व झोपड़ा अप्रार्थी संख्या 2 (सुरेश कुमार) ने बनाया है तथा परिवार सहित अप्रार्थी संख्या 2 (सुरेश कुमार) निवासरत है एवं उक्त प्लोट के चारों ओर पुरानी कांटो की बाड़ व पेड है एवं उत्तर दिशा में दरवाजा लगा हुआ है, जिससे पट्टा संख्या 56 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम पंचायत, हालीवाड़ा ने सही जारी किया गया है जो मौके के फोटो व नजरी नक्शा एवं पत्रावली जांच से स्पष्ट है। विवादित भूमि न तो रास्ते की भूमि है एवं न ही ग्राम पंचायत ने रास्ते की भूमि पर उक्त पट्टा जारी किया गया है, बल्कि खसरा संख्या 1066 व खसरा संख्या 722 रास्ता समायोजन है। एक मात्र राजस्व रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा में खसरा नम्बर 722 रास्ता त्रुटिपूर्ण दर्ज है जो पुराने राजस्व रेकर्ड मय नक्शा एवं मौके की स्थिति से स्पष्ट है। खसरा संख्या 1066 एवं खसरा संख्या 722 के रास्ता चौड़ाई का भाग जोड़ने पर मौके पर 60—70 फिट बनता है जो त्रुटिपूर्ण रेकर्ड इन्द्राज स्पष्ट होता है जिससे ग्राम पंचायत ने न तो अधिकार क्षेत्र से परे जाकर उक्त पट्टा जारी किया है बल्कि पूर्ण एवं भौतिक रूप से मौका जांच व पंचायत बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, हालीवाडा द्वारा खाली व खुली भूमि का पट्टा जारी नही किया है, बल्कि मौके पर अप्रार्थी सुरेश कुमार का पुराना केलूपोश मकान बना हुआ था जिसमें वह निवास कर रहा था उस भूमि का ही पट्टा जारी किया गयाहै। मौके पर उक्त खसरा संख्या 758 के सरहद लगता उत्तर दिशा में अन्य पट्टे शुदा मकानात व प्लोट है लेकिन उक्त पट्टो के निरस्त के लिए कोई कार्यवाही प्रार्थी ने नहीं की है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 2 (सुरेश कुमार) की खातेदारी खसरा संख्या 758 से लगती है जिसको बेचान करने के लिए अन्य व्यक्ति के ईशारे पर बैनामी सम्पत्ति की हैसियत से प्रार्थी के नाम से खरीदने के लिए अनुचित दबाव दिया जा रहा है। उक्त भूमि का बेचान प्रार्थी को नहीं करने से एवं त्रुटिपूर्ण रेकर्ड को आधार बनाकर गलत फायदा उठाने के आशय से उक्त पट्टा निरस्त की कार्यवाही एवं यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत के वर्तमान पदाधिकारियों की मिलीभगत से अप्रार्थी संख्या 2 (सुरेश कुमार) के विरूद्ध प्रार्थी ने गलत एवं विधि विरूद्ध पेश किया है। यह कि अप्रार्थी संख्या 2 (सुरेश कुमार) ने नियमानुसार पूर्व में जर्जर केलुपोश पुराना कच्चा मकान को वर्ष 2017 में अतिवृष्टि के कारण जर्जर होने से गिराकर नया टीनशैड नुमा कमरा व झोपड़ा उक्त पट्टा शुदा भूमि पर बनाया है। मौके पर उक्त पट्टा शुदा भूमि के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 1066 में सी.सी. रोड़ है।

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:14:55 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर ... * सिरोही * सत्यमेव जयते

पट्टा शुदा भूमि या उसके पूर्वी–पश्चिमी सरहद लाईन में किसी भी प्रकार का रास्ता नहीं है एवं न ही प्रार्थी या उसके रसुखातधारी व्यक्तियों ने कभी उक्त पट्टा शुदा भूमि पर रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग आज दिन तक किया गया है। जिससे उक्त पट्टा आज्ञापक प्रावधानो की पालना करते विधि अनुसार जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, हालीवाडा द्वारा अप्रार्थी सुरेशकुमार पुत्र काराजी, जाति– मेघवाल, निवासी– हालीवाडा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 56 दिनांक 13.12.2013 को जारी किया गया है। ''राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 100/– रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 200/– रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप–खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप–खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड़ (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षो के दौरान'' के स्थान पर अभिव्यक्ति 31.12.2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान'' प्रतिस्थापित की गई है।''

प्रकरण में प्रार्थी पक्ष द्वारा निगरानी आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज श्री महिपाल सिंह, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही के जांच प्रतिवेदन दिनांक 27.7.2020 के बिन्दु संख्या–3 में यह अंकित किया है कि मौके पर आवास ना होकर कांटेदार बाडा ही है। सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही के उक्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 27.7.2020 के अन्तिम पेरा में यह अंकित किया हुआ है कि ग्राम पंचायत, हालीवाडा द्वारा पट्टा बुक संख्या 29 में से पट्टा संख्या 56 राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में सुरेश कुमार पुत्र कालुजी मेघवाल, निवासी– हालीवाडा को जारी किया गया है, जो खसरा नम्बर 722 में गैर मुमकिन रास्ता भूमि में होना पाया गया। इस प्रकार, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही के उक्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 27.7.2020 से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, हालीवाडा द्वारा अप्रार्थी सुरेशकुमार के पक्ष में खसरा संख्या 722 गै.मु. रास्ता भूमि

.....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:14:55 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

का पट्टा जारी किया गया है, जबकि रास्ते की भूमि का पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही है। ऐसी स्थिति में, हस्तगत निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत पट्टे को निरस्त करते हुए प्रकरण ग्राम पंचायत, हालीवाडा को विवादित भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करके विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, हालीवाडा द्वारा अप्रार्थी सुरेशकुमार पुत्र काराजी, जाति– मेघवाल, निवासी– हालीवाडा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 56 दिनांक 13.12.2013 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, हालीवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करे एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30 मई, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही सत्यमेव जयते

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.06.03 17:14:55 IST
Reason: SelfAttested